पत्रांक–BSEB(SS)/KEN/...25...../2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 09.../...01...../2024

विषयः राज्य के +2 स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सत्र 2022–24 में नामांकित रहे वैसे विद्यार्थी, जिनका अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय से लगातार अनुपस्थिति के कारण नामांकन रद्द कर दिया गया है, को इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2024 राज्य के सभी जिलो में निर्धारित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर **दिनांक 10.01.2024 से 20.01.2024** तक संचालित होनी है। उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 26.12.2023 को प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है।

2. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यार्थियों की कक्षा में सतत् उपस्थिति आवश्यक है। इस क्रम में राज्य के +2 स्तरीय शिक्षण संस्थानों के द्वारा, कक्षा से लगातार अनुपस्थित रहने वाले कई विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया है।

3. इस संबंध में शिक्षा विभागीय पत्रांक 09/विविध–34/2023–800, दिनांक 21.10.2023 से प्राप्त निदेश के आलोक में वैसे विद्यार्थियों जिनका अपनी कक्षा में लगातार अनुपस्थिति के कारण संबंधित +2 स्तरीय शिक्षण संस्थानों के द्वारा नामांकन रद्द कर दिया गया है, को आगामी वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाना है। विभागीय निदेश के अनुपालन में समिति के पत्रांक BSEB(SS)/KEN/1126/2023, दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों को उत्प्रेषण जाँच परीक्षा में शामिल नहीं करने का अनुरोध भी किया जा चुका है।

4. इसी क्रम में विभागीय पत्रांक 09/विविध–34/2023–34, दिनांक 04.01.2024 के द्वारा भी इस आशय का निदेश निर्गत किया गया है कि वैसे विद्यार्थी, जिनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, को इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराया जाए।

5. उपर्युक्त वर्णित निदेश के आलोक में वैसे सभी विद्यार्थी, जिनका नामांकन पंजी से नाम काट दिया गया है, का समिति के स्तर से निर्गत इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रयोगिक परीक्षा, 2024 का प्रवेश पत्र निरस्त किया जाता है। इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रयोगिक परीक्षा, 2024 के केन्द्राधीक्षक एवं सभी +2 स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्रधान को अपने स्तर से सख्त निदेश दिया जाए कि किसी परिस्थिति में ऐसे विद्यार्थियों को उक्त प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाए। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान के नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों की सूची **दिनांक 09.01.2024 की संध्या तक** अनिवार्य रूप से संबंधित प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करा देंगे। यदि किसी शिक्षण संस्थान या प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के द्वारा वैसे विद्यार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है, तो उसकी पूर्ण जवावदेही +2 स्तरीय शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं संबंधित प्रायोगिक परीक्षा के केन्द्राधीक्षक की होगी।

6. **उक्त आशय की विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 11/2024 द्वारा संसूचित की गई है। इस विज्ञप्ति की प्रति आपके ई–मेल आई0डी0 पर भी प्रेषित किया गया है।**

Lr0

7. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि सभी संबंधित केन्द्राधीक्षको/शिक्षण संस्थानों के प्रधान को दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं बैठक बुलाकर स्पष्ट रूप से निदेशित करने के साथ ही संदर्भित विज्ञापन की प्रति अपने अग्रसारण पत्र द्वारा उन्हें उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को यह स्पष्ट निदेश दें कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

8. कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०
9.1.24

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : BSEB(SS)/KEN/---25---/2024 पटना, दिनांक : 09.../.01.../2024

प्रतिलिपि :
1. उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट, आई०टी० (उ०मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधान/प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षकों/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस पत्र की प्रति समिति के निर्दिष्ट BSEB Mobile App पर डाल दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
2. मुख्य निगरानी पदाधिकारी–सह–मुख्य नोडल पदाधिकारी/सभी नोडल पदाधिकारी, प्रमंडलीय परीक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचानार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई0टी0 तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०
9.1.24

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

09.01.2024

09/01/2024